

परिशिष्ट

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993

—00—

धारा 10 के बिन्दु क्र. 2 में प्रावधानित है कि "राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, किसी जिले को खण्डों में विभाजित कर सकेगा। अधिसूचना में प्रत्येक ऐसे खण्ड का नाम उसका मुख्यालय और समाविष्ट क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाएगा। प्रत्येक खण्ड के लिये एक जनपद पंचायत होगी जो उस खण्ड के नाम से जानी जाएगी।